UPGK010021242026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–933/2026
गोल्डेन साहनी पुत्र स्व0 राजेन्द्र साहनी,
निवासी–बाघागाढ़ा, थाना गीडा, जनपद गोरखपुर।

..... **आवेदक/अभियुक्त,**

प्रति
उत्तर प्रदेश राज्य

..... **प्रतिपक्षी,**

अपराध संख्या–80/2026
धारा–105 भारतीय न्याय संहिता
थाना–शाहपुर, जनपद– गोरखपुर।

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त गोल्डेन साहनी, जो अपराध संख्या–80/2026, धारा–105 भारतीय न्याय संहिता, थाना–शाहपुर, जनपद– गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथनानुसार वादी मकुकदमा देवेन्द्र नाथ पाण्डेय का पुत्र आकाश पाण्डेय बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में एम0बी0बी0एस0 तृतीय वर्ष का छात्र था, जिसकी आयु 25 वर्ष थी। दिनांक 04.03.2026 को वादी मुकदमा का पुत्र अपने मित्र अनूप कुमार के घर खाना खाने गया था, खाना खाने के उपरान्त अपनी स्कूटर वाहन सं0 यू0पी0–53 सी आर 6775 से मेडिकल कालेज वापस आ रहा था कि जैसे ही वह मोहद्दीपुर फ्लाईओवर पर समय करीब 9.30 पी0एम0 पर पहुॅचा कि कौआबाग से मोहद्दीपुर की तरफ आ रही काले रंग की फार्चूनर गाड़ सं0 यू0पी0–32 एल आर/0013 के चालक ने जानबूझ कर उतावलेपन में वाहन को चलाते हुए वादी के पुत्र के वाहन में जोरदार टक्कर मार दिया जिससे वादी के पुत्र आकाश पाण्डेय की मौके पर मृत्यु हो गई, किन्तु उक्त चालक इतने पर भी नहीं रूका तथा उसके पुत्र के वाहन को अपने वाहन में फंसे होने के बावजूद घसीटता हुआ करीब 500 मीटर लेकर चला गया। इस दौरान वाहन चालक द्वारा जानबूझ कर अन्य वाहनों/राहगीरों को टक्कर मारता हुआ मौके से फरार हो गया।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष व निरपराध है तथा राजनीतिक दबाव में वरिष्ठ पुलिस उच्चाधिकारियों के इशारे पर उसे अभियुक्त बना दिया गया है। सत्यता यह है कि आवेदक अपने निषाद पार्टी कार्यालय से दिनांक 04.03.2026 को सांयकाल मोहद्दीपुर होते हुए अपने घर पहुॅचा था कि रात्रि में आवेदक के घर पुलिस आई तथा आवेदक व उसके चाचा योगेन्द्र साहनी की फार्चूनर गाड़ी के साथ पूछताछ के बहाने ले गई और आवेदक के घर लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरे का डी0वी0आर0 भी घर में घुसकर तोड़कर उठा ले गई और आवेदक का उक्त मामले में चालान कर कर दिया। आवेदक द्वारा मृतक को कुचलकर मारने का कोई आशय न बताया जाना घटना को सन्देहास्पद बनाता है। आवेदक की मौके पर गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना का कोई चक्षुदर्शी

साक्षी नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 05.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इन समस्त आधारों पर उनके द्वारा आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि कथित घटना की तिथि को आवेदक/अभियुक्त के द्वारा वादी के पुत्र के वाहन में जोरदार टक्कर मारा गया जिससे मौके पर ही वादी के पुत्र की मृत्यु हो गई तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा यह जानते हुए कि वादी का पुत्र आवेदक/अभियुक्त के वाहन में फंस गया है जानबूझ कर उसे करीब 500 मीटर तक घसीटा। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा घटना के समय अत्यधिक शराब का सेवन किया गया था। अभियुक्त को यह जानकारी होते हुए कि शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है और इस प्रकार वाहन चलाने से किसी की मृत्यु भी हो सकती है, वाहन चलाया गया जिससे वादी के पुत्र की मृत्यु हो गई। तद्नुसार उन्होंने अपराध की गम्भीरता एवं आवेदक/अभियुक्त की भूमिका को देखते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5– मैंने जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक के विद्वतापूर्ण तर्को को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6– अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्राथमिकी फार्चूनर वाहन सं0 यू0पी0–32 एल/0013 के चालक नाम अज्ञात के विरूद्ध दर्ज कराई गई है। यद्यपि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है, लेकिन दौरान विवेचना घटना में आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। प्रकरण दैनिकी के पर्चा संख्या–1 दिनांकित 05.03.2026 में विवेचक द्वारा वादी मुकदमा का बयान अन्तर्गत धारा–180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंकित किया गया है, जिसमें उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कथनों का समर्थन किया गया है। प्रकरण दैनिकी के पर्चा संख्या–1 में ही विवेचक द्वारा चश्मदीद गवाह श्री सुमित निषाद का बयान अन्तर्गत धारा–180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दर्ज किया गया है जिसमें इस साक्षी ने कथन किया है कि समय करीब 9.00 बजे रात्रि में जब वह मोहद्दीपुर फ्लाईओवर पर पहुॅचा तो देखा कि काले रंग की फार्चूनर गाड़ी सं0 यू0पी0–32 एल आर/0013 गाड़ी अपने हिस्से में स्कूटी वाहन सं0 यू0पी0–53 सी आर 6775 को फंसाये सड़क पर गलत साईड से तेज रफ्तार से चिंगारी निकालते हुए जा रही थी जिसके द्वारा उसके उपर भी गाड़ी चलाने का प्रयास किया गया था, परन्तु किसी तरह से उसके द्वारा अपनी जान बचाई गई। फार्चूनर चालक द्वारा पुल की शुरूआत में एक स्कूटी चालक को जोरदार ठोकर मारी गई थी जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी, जिसके उपरान्त फार्चूनर चालक द्वारा एक और स्कूटी सं0 यू0पी0–53 सी जेड/8264 के सवार को भी ठोकर मारते हुए फरार हो गया। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि फार्चूनर गाड़ी के चालक ने अत्यधिक शराब का सेवन कर रखा था जिससे वह उतावलेपन में गाड़ी गलत साईड से चलाते हुए यह जानते हुए कि उसके इस कृत्य से लोगों की मृत्यु कारित हो सकती है, जानबूझ कर सबको ठोकर मारा है। प्रकरण दैनिकी के पर्चा संख्या–2 दिनांकित 05.03.2026 में विवेचक द्वारा गवाह मानवेन्द्र शर्मा का बयान भी अन्तर्गत धारा–180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दर्ज किया गया है जिसमें इस साक्षी ने भी फार्चूनर गाड़ी सं0 यू0पी0–32 एल आर/0013 के चालक द्वारा घटना घटित करने के सम्बन्ध में विस्तार से कथन किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद आवेदक/अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है, आवेदक/अभियुक्त के चिकित्सीय परीक्षण आख्या में चिकित्सक द्वारा

शराब के सेवन होने की सम्भावना जताई है। अन्त्य परीक्षण आख्या में चिकित्सक द्वारा मृतक आकाश पाण्डेय के शरीर पर मृत्यु पूर्व चोट 1. Lacerated wound over of size 13cm x 3cm present over top of head to right occipital region, on cutting skin underneath hematoma present, on opening skull brain membrane hematoma present. 2. Lacerated wound over of size 15cm x 4cm present over right side knee, mandible bone exposed. 3. Contused swelling of size 10cm x 6cm left side shoulder joint, on cutting skin underneath hematoma present left humerus bone fracture. 4. Contused swelling back of neck, on cutting skin underneath hematoma present. 5. Contused swelling present over right hand below right wrist joint, on cutting skin underneath hematoma present left little finger fracture. 6. Multiple abrasion present over chest and abdomen. बताया गया है तथा चिकित्सक के अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी सिर के चोटों के परिणामस्वरूप सदमा से होना बताया गया है। इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त को प्रश्नगत घटना में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवं बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवं विचारण का विषय है। विवेचना अभी प्रचलित है।

7– अतएव मामले के गुण–दोष पर अपनी कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना, इस मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता तथा आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है।

8– निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त गोल्डेन साहनी की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O.Code No. 1889

दिनांक–20.03.2026

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.20 15:20:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court